इक्कीसवीं सदी के भारत में भ्रष्टाचार के बदलते प्रतिमान

डॉ. अमित शुक्ल,
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग,
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव,
अध्यक्ष–हिन्दी विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ एवम्
एसोसिएट (2009–2011),
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास,
शिमला (हि.प्र.)

भारत में भ्रष्टाचार की कहानी अत्यन्त लम्बी है, विगत वर्षों से नित्य नये–नये घोटाले सामने एक–एक करके आते जा रहे हैं, जिनसे भारतीय जनमानस विचलित है, पर आश्चर्य यह है कि यह चिंता सिर्फ राजनीतिक दायरे से बाहर ही दृष्टिगत होती है, और वहीं से यह मांग उठती है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कारगर व्यवस्था की जाए। अगर राजनीतिक क्षेत्र में दृष्टिगत हों तो भारत में चुनाव के क्या तरीके है? पिता के लिए शराब, माँ के लिए कपड़े और बच्चे के लिए भोजन आखिर इस देश में क्या भ्रष्ट नहीं है। भारत का केन्द्रीय व्यसन या दोष भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की केन्द्रीय धुरी है चुनावी भ्रष्टाचार और चुनावी भ्रष्टचार की केन्द्रीय धुरी है कारोबारी घराने। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात ही राजनीति से पनप रहे भ्रष्टाचार से व्यथित होकर महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि भ्रष्ट राजनीतिक दलों को ससम्मान दफना देना चाहिए पर वैसा 21 वीं सदी के दूसरे दशक मे भी न हो पाया, बीते समय का वही भ्रष्टाचार कैंसर रूपी नासूर बनकर सम्पूर्ण राजनीतिक क्षितिज को अपने आगोश में ले चुका है और अब वह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। वर्तमान भारत में 2 जी स्पेक्ट्रम कामनवेल्थ, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी और कर्नाटक सहित कुछ अन्य राज्यों की खदानों से जुड़े घोटालों नीरा राडिया के फोन की रिकार्डिंग व विकीलीक्स के खुलासे के बाद नित्य नये घोटालों से प्रत्येक भारतवासी अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, आज पूरा भारत भ्रष्टाचार और कालेधन के प्रचलन से त्रस्त है। भ्रष्टाचार की सुनामी ने भारत के संपूर्ण राष्ट्रीय चरित्र को अपने आगोश में ले लिया है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार एक लाइलाज राजरोग होता जा रहा है सार्वजनिक जीवन मे भ्रष्टाचार से आम आदमी हतप्रभ चकित और क्षुब्ध है। विकास और निर्माण की हर परियोजना को भ्रष्टाचार का दैत्य निगलने को तैयार बैठा है। सारा प्रशासनिक तंत्र फिक्सरों और बिचौलियों की गिरफ्त मे है भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का रवैया अत्यंत चिन्ताजनक है। विश्व पटल पर भारत **'अतुल्य भारत'** के रूप में जाना जाने लगा है, नित्य नये भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के कारण भ्रष्टाचार व्यक्ति या संस्था तक सीमित न रहकर अखिल भारतीय स्वरूप हासिल कर चुका है। देखा जाए तो सरकारी स्तरों पर भ्रष्टाचार की लड़ाई महज भाषणों, और कागजी कार्यवाई तक सीमित है। आज दशा यह है कि पूरे भारत में 20 लाख से अधिक आवेदन सूचना का अधिकार के तहत भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकारी कार्यालयों में

डाले जा चुके हैं, जिसका कोई समाधान नहीं है। जनसाधारण का गुस्सा भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्तमान समय के भारत में नैतिक–अनैतिक सही–गलत उचित–अनुचित की तमाम विभाजन रेखाएँ, मिट चुकी हैं, 21 वीं सदी के दूसरे दशक की चुनौती भ्रष्टाचार ही है, स्विस बैंक के एक बड़े अधिकारी का यह मानना है कि पूरे विश्व के सामने भारत भले ही विकासशील और गरीब देशों के रूप में जाना जाए लेकिन भारतीय नागरिक गरीब नहीं हैं। इस अधिकारी का मानना है कि स्विस बैंकों में 280 लाख करोड़ भारतीय मुद्रा जमा है। यह राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं है बल्कि इस राशि से कई देशों का बजट चलाया जा सकता है और यह 60 करोड़ भारतीय बेरोजगारों को नौकरी दे सकता है। लगातार तीस वर्षों तक भारत का कर मुक्त बजट बनाया जा सकता है। 500 से अधिक सामाजिक योजनाओं को निःशुल्क विद्युत प्रदान की जा सकती है व निरन्तर 60 वर्षों तक देश के प्रत्येक नागरिक को 2000 रू. प्रतिमाह दिये जा सकते हैं। उपर्युक्त स्विस बैंक के अधिकारी के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज का व्यक्ति ईमानदारी का नकाब पहने हुए देश को खोखला किए जा रहे हैं, इससे देश दिशाविहीन हो रहा है, यह भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ अराजकता और गरीबी ही नहीं बढ़ाता यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है और जो सरकार भ्रष्टाचार के प्रति नरम नीति अपनाती है वह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। जो ईमानदारी की बात करने और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए सामने आता है ऐसे लोगों के मनोबल को गिराने के लिए सरकारे उनके पीछे पड़ जाती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान समय में किए गए आंदोलन **अन्ना हजारे** और **बाबा रामदेव** के रूप मे देखा जा सकता है।

भारत की पहली महिला आई.पी.एस. अधिकारी **किरण बेदी** का कहना है कि भारत को भ्रष्टाचार के कारण हर साल 16 अरब डालर (करीब 720 अरब रुपये) का नुकासान होता है। शिकागो काउसिंल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में किरण बेदी ने कहा यदि किसी काम के लिए 100 रुपये दिये जाते हैं तो उसमें से 16 रुपये ही इस्तेमाल किये जाते हैं 84 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। भारत को तरक्की पर किरण बेदी ने कहा यदि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए तो यह दुनिया का सबसे विकसित देश बन सकता है उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी भारतीय भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएँ कि यह भारत के भविष्य का सवाल है।

इस प्रकार किरण बेदी का उपर्युक्त कथन शत प्रतिशत सही है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें जब तक नहीं उखाड़ दी जाएंगी तब तक न तो भारत का भविष्य सुरक्षित है और न ही उसका भाग्योदय। क्योंकि वर्तमान समय के भारत का भ्रष्टाचार ने रोजगार के क्षेत्र में अपनी घुसपैठ कर ली है, पी. एम. टी. , पी. ई. टी., पी. एस. सी. रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में दखल हैं प्रश्न–पत्र बेचने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश होता रहता है। कुछ समय पूर्व छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पी. एम. टी. के प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरोह का पता लगा था इस रैकेट का मास्टर माइन्ड पटना का डाक्टर चन्द्रमणि कुमार सहाय है जो रायपुर में डेंटल और बिलासपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर यहाँ के परीक्षार्थियों को पर्चे बेच रहा था इसके लिए छात्रों से 13–13 लाख रुपये तक में सौदा तय हुआ था। यहाँ की डी. बी.

स्टार टीम के एक परीक्षार्थी की सूचना पर जब इसकी पड़ताल की गई तो बिलासपुर के समीप तख्तपुर में अग्रसेन भवन में पी.एम.टी. के 72 परीक्षार्थी 47 लड़के और 25 लड़कियाँ अपने परिजन के साथ मिलें। इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र मे व्याप्त भ्रष्टाचार से भारत के युवाओं का भविष्य किस ओर जा रहा है यह एक चिंतनीय सवाल है? भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात वर्तमान समय तक के दौर मे एक दृष्टि घुमायें तो नज़र आता है कि आजादी के तत्काल बाद से ही भारत में घोटाले होने लगे थे। पहले लघु घोटाले हुये, फिर मझोले किस्म के। इन दोनों को भी हमारे हुक्मरानों ने जब नजरअंदाज करना जारी रखा तो बड़े–बड़े घोटाले होने लगे। जब घोटालेबाजों को नसीहत देन वाली सजा नहीं मिली तो अब 2 जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी और इसरो जैसे महा घोटाले होने लगे हैं। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो नागरिक समाज ने पहल की और अन्ना हजारे को अनशन पर बैठना पड़ा।

अब अनुभवी लोग यह कह रहे हैं कि अन्ना जैसे लोगों की पहल के बावजूद यदि ये घोटाले नहीं रूके तो ये इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की ऐसी स्थायी क्षति पहुंचायेंगे कि उसकी मरम्मत भी असंभव हो जायेगी। अन्ना के अनशन के बाद इस देश के प्रभु वर्ग की जैसी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, वे कोई उम्मीद पैदा नहीं करती। यहाँ उस प्रभु वर्ग की बात की जा रही है जिन्हें घोटालों ने मालामाल किया है।

आजादी के तत्काल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री **जवाहर लाल नेहरू** ने कहा था कि काला बाजारियों को नजदीक के लैंप पोस्ट से लटका दिया जाना चाहिए। लेकिन कालाबाजारी कौन कहे, चर्चित जीप स्कैंडल में जिन वीके कृष्ण मेनन का नाम आया, उन्हें कुछ ही साल बाद इनाम के तौर पर रक्षा मंत्री बना दिया गया। दूसरी ओर बिहार में आजादी के तत्काल बाद बनी राज्य सरकार के एक मंत्री को महात्मा गांधी ने हटा देने की सलाह दी थी। लेकिन तब के मुख्यमंत्री ने साफ–साफ कह दिया कि उन्हें हटाने के बदले मैं खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। बाद में उसी मंत्री को कांग्रेस ने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। उस मुख्यमंत्री का शासनकाल तब तक का सबसे भ्रष्ट शासन था।

ये तो शुरूआती बातें हैं। पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगे। भ्रष्टाचारियों का मनोबल दिनोंदिन बढ़ता गया। जाति और पैसे के आधार पर भ्रष्ट लोग भी चुनाव जीतते गये। शासन में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। दरअसल आजादी के बादसे ही हमार हुक्मरानों ने भ्रष्टाचार के प्रति जो नरम या फिर संलिप्तता वाला रवैया अपनाया, उससे यह बीमारी इस गरीब भारत के लिए आज कैंसर साबित हो रही है। विकास योजनाओं और कल्याण के पैसों में से अधिकांश भ्रष्ट तत्व लूट ले रहे हैं। इससे गरीबों की गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। आज भारत में 84 करोड़ लोगों को रोज की औसत आय मात्र बीस रुपये हैं। दूसरी ओर कुछ लोग भारत को लूट कर अरबपति बनते जा रहे हैं। यह विषमता भारत में लोकतंत्र के जारी रहने मे बाधक बन सकती है, ऐसी आंशका जाहिर की जा रही है।

21 वीं सदी में वर्तमान समय के चर्चित प्रमुख घोटाले

(1) एस बैंड आवंटन – इसरो और देवास मल्टीमीडिया के बीच एस–बैंड करार को लेकर घपले की बात आयी तो सरकार को मजबूरन समझौता रद्द करने का फैसला

लेना पड़ा। दरअसल इसरो ने जनवरी 2005 में ही देवास के साथ समझौता किया था, लेकिन मई 2005 तक इसकी जानकारी न तो केंद्रीय कैबिनेट को दी गयी थी और न ही अंतरिक्ष आयोग को। मुख्य महालेखाकार ने इस सौदे पर शक जाहिक करती रिपोर्ट संसद को सौंपी, तो मीडिया ने इसे घोटाले के रूप में आम लोगों तक पहुंचाया। मई 2005 में केंद्रीय कैबिनेट को इसरो ने सूचित किया कि एस बैंड स्पेक्ट्रम को लेकर एक सर्विस प्रोवाइडर उनके संज्ञान में है, जबकि हकीकत यह थी कि चार महीने पहले ही इसरो की कारोबारी इकाई एंट्रिक्स और देवास–मल्टीमीडिया के बीच समझौता हो चुका था। चूंकि एंट्रिक्स ने बिना नीलामी के ही देवा को 600 करोड़ रुपये में बीस वर्षें तक 70 मेगाहट्र्स एस बैंड स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की इजाजत दे दी थी, इसलिए शक लाजिमी था। अगर इसी स्पेक्ट्रम को टेंडर निकाल कर आवंटित किया जाता तो देश को करीब दो लाख करोड़ रुपये का फायदा होता। यही वजह है कि इसे दो लाख का घोटाला करार दिया गया। वैसे सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन इस अंधेरगर्दी ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को शर्मसार कर दिया।

(2) आदर्श हाउसिंग – मुंबई के अमीर इलाके कोलाबा में सन् 2003 में आदर्श सोसाइटी की 31 मंजिला इमारत बनने से पहले करीब 60 साल तक 6490 वर्ग मीटर के प्लॉट पर सेना का कब्जा था। इमारत का निर्माण 1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों की विधवाओं और परिवारों को आवासीय इकाई देने के वादे के साथ शुरू हुआ था। लेकिन बाद में ये फ्लैट प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित किये गये। सेना की इस जमीन पर पहले कारगिल के शहीदों के लिए छह मंजिला इमारत में फ्लैट बनाने की बात हुई थी। लेकिन फौजियों, नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से इस इमारत को 31 मंजिला बना दिया गया। शहीदों के परिजनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्मित इस इमारत में नेताओं–अफसरों ने भी हिस्सा बांट लिया। इन फ्लैटों की बाजार में कीमत 8.5 करोड़ है। चूंकि ये जमीन शहीदों के घरवालों को दी गयी थी, इसलिए इसके दाम 65 से 85 लाख रुपये तय किये गये थे। फ्लैट पाने वालों में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चाव्हाण की सास, साली, साले और एक अन्य रिश्तेदार के नाम शामिल थे हालांकि बाद में उन्होंने फ्लैट वापस कर दिये। इस मामले के खुलासे के बाद चाव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा और अब उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

(3) 2–जी स्पेक्ट्रम – मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को काफी कम कीमत पर 2–जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने के खेल में केंद्र की यूपीए सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत हुई है। इसे करीब 1.77 लाख करोड़ का घपला माना जाता है, जिसके मुख्य आरोपी पूर्व संचार मंत्री ए राजा हैं। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात केंद्र सरकार ने विपक्ष के भारी दबाव में संयुक्त संसदीय समिति से मामले की जांच की घोषणा भी की। कई मोबाइल कपंनियों को काफी कम दरों पर स्पेक्ट्रम आवंटन के इस खेल में राजेनता, अधिकारी, कॉरपोरेट दलाल समेत कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। पूरे खेल में मुख्य भूमिका पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा की मानी गयी। उनके अलावा पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और ए राजा के सचिव रहे आरके चंदोलिया की भूमिका भी संदिग्ध रही।

(4) आवास ऋण – विगत वर्ष सीबीआई द्वारा पर्दाफाश किये गये गृह ऋण यानी हाउसिंग लोन घोटाले की भी खूब चर्चा हुई।

इस घोटाले के आरोप में एलआइसी हाउसिंग फायनेंस के सीइओ रामचंद्रन नायर के अलावा विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कई अधिकारी गिरफ्तार किये गये गिरफ्तार हुए अधिकारियों में एलाआइसी में सचिव (निवेश) नरेश के चोपड़ा, बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर आरएल तायल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टर मनिंदर सिंह जौहर, पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम वैंकोबा गुजाल और मनी अफेयर्स के सीएमडी राजेश शर्मा शामिल हैं। यह घोटाला रिश्वत लेकर करोड़ों रुपये का कर्ज स्वीकृत करने से संबंधित था। अधिकारियों ने जिन कंपनियों को कॉरपोरेट लोन देकर फायदा पहुँचाया, उनमें लवासा कॉरपोरेशन, ऑबेरॉय रिएलिटी, आशापुरा माइनकैम, सुजलोन इनर्जी लिमिटेड, डीबी रिएलिटी, एम्मार एमजीएफ, कुमार डेवपर्स आदि शामिल हैं।

(5) राष्ट्रमंडल खेल—यह घोटाला भी विगत वर्ष ही उजागर हुआ। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने 2003 में जब राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन का अधिकार हासिल किया था, तक ऐसोसिएशन ने 1620 करोड़ रुपये के बजट का अंदाजा लगाया था। लेकिन 2010 तक आते—जाते यह बजट करीब 11,500 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें दिल्ली के विकास और सौंदर्यीकरण का बजट शामिल नहीं है। जानकार मानते हैं कि इस खेल के आयोजन और इससे जुड़े सौंदर्यीकरण पर करीब 70 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हालांकि आरोपों से इतर अभी तक खेल आयोजन में घपले से उगाही गयी कुल राशि की आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है। मामले की जांच चल रही है लेकिन हैरत में डालने वाली बात यह है कि इस आयोजन के मुखिया रहे सुरेश कलमाड़ी को पद से बर्खास्त तो कर दिया है, लेकिन जांच एजेंसी सीबीआइ उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। उनके कई करीबी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें आयोजन समिति के पूर्व संयुक्त निदेशक जनरल टीएस दरबारी और उप निदेशक जनरल संजय महेंद्रू भी शामिल हैं। सीबीआइ ने दिल्ली हाइकोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने में देरी कर दी, जिसके चलते गिरफ्तार अधिकारियों को जमानत मिल गयी।

(6) कर्नाटक खनन—विगत वर्ष कर्नाटक में लौह अयस्क के अवैध खनन से संबंधित घोटाले को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जबर्दस्त धमासान मचा रहा। बेल्लारी के कुख्यात रेड्डी बंधु (जी जर्नादन रेड्डी और जी करुणाकर रेड्डी) और मंत्री बी श्रीरामुलु पर लॉह अयस्क के अवैध व्यापार से 60, हजार करोड़ रुपये कमाने का आरोप लगा, जिसका बचाव करने में कर्नाटक सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ, जब कर्नाटक के लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने कई महीनों तक इन दोनों भाइयों के खिलाफ जांच की और पाया कि बिलिकेरे बंदरगाह से 35 लाख टन लौह अयस्क गायब कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क की कीमत 145 डॉलर प्रति टन है। अगर सभी तरह के खर्चों को घटाकर सौ डॉलर प्रति टन भी मान लिया, जाये तो करीब 14 अरब रुपये होते हैं।

(7) उत्तरप्रदेश खाद्यान्न—उत्तरप्रदेश में करीब 35 हजार करोड़ रुपये का अनाज दो सौ अफसरों ने मिल कर देश के दूसरे शहरों और विदेशों में बेच दिया। सन् 2001 से 2007 के बीच अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना और मध्यान्ह भोजन के तहत गरीबों को दिया जाने वाला अनाज नेपाल और बांग्लादेश में भी बेचा गया। यह हेराफेरी सात वर्षों तक चलती रही। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में करीब पांच हजार प्राथमिकियां दर्ज करायी गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस

मामले में आरोपी अफसरों के खिलाफ मनी लांडरिंग एक्ट और फेमा के तहत कार्रवाई शुरू की है। खाद्यान्न घोटाले को हाईकोर्ट में ले जाने वाले याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की मानें, तो इस घपले में करीब दो लाख करोड़ रुपये के अनाज की हेराफेरी की गयी है।

उपर्युक्त घोटालों से भारतीय जनता ही त्रस्त नहीं है बल्कि विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों को भी इस भ्रष्टाचार ने चिंतित कर दिया है वे लोग यात्राएँ निकाल रहे हैं। महात्मा गांधी की 1930 में हुई दांडी यात्रा से प्रेरित होकर अनिवासी भारतीयों के एक समूह ने अमेरिका मे 240 मील की यात्रा आयोजित की थी केलोफोर्निया के सानडियागों में मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्मारक उद्यान से 12 मार्च 2011 को शुरू हुई यह यात्रा 26 मार्च 2011 को सनफ्रांसिस्को स्थिति गांधी प्रतिभा के निकट जाकर समाप्त हुई इसका नाम दांडी मार्च द्वितीय रखा गया था कहा गया है कि अमेरिका के 45 और साठ अन्य देशों में भी लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किए थे, आयोजकों का कहना है कि पहली दांडी यात्रा उपनिवेशी भारत में अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ एक अहिंसक विरोध अभियान था वहीं दूसरी दांडी यात्रा भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है। अनिवासी भारतीयों के समूह ने कहा कि नागपुर से न्यूजर्सी तक और सिडनी से सिएटल तक पूरी दुनिया से निवास कर रहे भारतीयों ने एक सुर में भ्रष्टाचार के विरोध मे जनलोकपाल विधेयक और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने की मांग की। अनिवासी भारतीयों ने नारा दिया है–भ्रष्टाचार को हटाना है, भारत को बचाना है। इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र भी जारी किया था जिसमें लिखा गया कि ये लोग भारत में भ्रष्टाचार से हो रही बेतहाशा वृद्धि पर मौन नहीं बैठे रहेंगे।

यह अच्छी बात है कि पिछले कुछ समय से भारत में भ्रष्टाचार पर लगातार बहस हो रही है। शायद ही इससे पहले कभी इस मुद्दे पर इतनी चर्चा हुई हो। भ्रष्टाचार जितने चरम में 21वीं सदी के दूसरे दशक में दृष्टिगत है उतना पहले कभी नही था। मौजूद बहस से यह जाहिर होता है कि भारतवासियों ने भ्रष्टाचार को नियति नहीं मान लिया है और इस दौर से बाहर निकलने के लिए बेचैन हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार को एक नैतिक समस्या के रूप में देखते हैं, यानी इसे व्यक्तियों की बुराई मानते हैं। जाहिर है वे व्यक्तियों के मानस में बदलाव या चरित्र सुधार के कार्यक्रम के जरिए भ्रष्टाचार से निपटने का परामर्श देते हैं। लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार सर्वभक्षी और संस्थागत रूप ले चुका हो वहाँ सदाचार की सीख देना समस्या की असलियत से मुँह मोड़ना है। एक सवाल यह भी उठता है कि सर्वव्यापी भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था में नैतिकता को किस तरह से आँका जाए? क्या व्यवस्था चलाने वालों के भ्रष्टाचार और व्यवस्था से पीड़ित लोगों की छोटी–मोटी अनैतिकताओं को एक ही पलड़े पर रखा जाना उचित होगा? यहीं से निजी बनाम सार्वजनिक नैतिकता का प्रश्न भी खड़ा होता है।

अपने–अपने लोकपाल

आजादी के दूसरे दशक से ही एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस की गई जो भ्रष्टाचार की जांच निष्पक्ष तरीके से कर सके जिसका मतलब है कि सन् 1947 में अंग्रेजों के अत्याचार और भ्रष्टाचार से तो मुक्ति पाई थी, मगर विरासत में भ्रष्टाचार का जो

अवगुण ग्रहण किया था, उसका समाधान मौजूदा संस्थाओं सी.बी.आई., केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीआईडी से मिलने पर असंतोष था। लोकपाल जैसी संस्था की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि उक्त संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण होने से इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले वर्ष भर में भ्रष्टाचार की पतली धारा ने, वेगवती नदी का रूप धारण कर लिया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आन्दोलन के तहत अन्ना हजारे की सिविल सोसाइटी और भारत स्वाभिमान के मंच तले बाबा रामदेव ने सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, मुख्य विवाद उच्च पदों यथा प्रधानमंत्री, न्यायाधीशों आदि को लोकपाल के दायरे में लाने को लेकर है। दरअसल, लोकपाल विधेयक के 42 वर्षों से लम्बित रहने की मुख्य वजह उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर रही असहमति से जुड़ी है। सवाल है कि क्यों सरकार खुले रूप से इस पर आगे नहीं आती और अगर उसे अपने ही मर्जी मुताबिक लोकपाल विधेयक का निर्माण करना है तो फिर ये हाई प्रोफाइल ड्रामा क्यों? आकंठ तक भ्रष्टाचार के कीचड़ में धंसी सरकार की महंगाई जैसे मुद्दों पर थू–थू हो रही है। देश की अवाम में गुस्सा है। जिसका प्रस्फुटन अन्ना और बाबा रामदेव जी के मंच से होता रहा है। कानून की कठोरता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आरटीआई कानून के अस्तित्व के आने के पूर्व भ्रष्टाचार के उजागर होने के उदाहरण न के बराबर हैं और सजा तो शून्य ऐसे में भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के लिए एक कारगर लोकपाल की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार विरोधी कारगर कानून चाहे अन्ना–रामदेव की सलाह से बने, सर्वदलीय सहमति से यह काम हो या फिर केन्द्र सरकार की मर्जी से तैयार हो। इस देश के लोग इतना ही चाहते हैं कि ऐसा कानूनी और संवैधानिक प्रावधान जल्द से जल्द हो ताकि इस देश के बेकाबू होते तरह–तरह के भ्रष्टो के समक्ष इस देश का कोई प्रधानमंत्री भविष्य में कभी लाचार नहीं दिखे। इस देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर होता है। उसकी नैतिक और प्रशासनिक धाक लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। करोड़ों रूपये के घोटाले के आरोप से सने किसी नेता या व्यापारी के सामने इस देश के प्रधानमंत्री जब लाचार दिखते हैं तो आम जनता की उम्मीदें मर जाती हैं। अभी ऐसा ही हो रहा है। इस गरीब देश की अधिकतर लाचार व दरिद्र जनता को दो जून की अपनी रोटी के लिए भी सरकार की गरीबों के लिए बनी नीतियों की ओर मुखातिब रहती है। जब गरीब देखते हैं कि इस देश का खजाना भ्रष्ट तत्व दोनों हाथों से लूट रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद को उनके सामने लाचार घोषित कर देते हैं तो उनका कलेजा मुंह को आने लगता है।

भ्रष्टाचार का यथार्थ

वर्तमान भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ दो लोगों की अगुवाई में शुरू हुआ अभियान जिसमें दोनों को काफी जन–समर्थन मिला है। कारण यह है कि कुछ समय से देश में भ्रष्टाचार और घोटालों की बाढ़ आ गई है, जिससे देश का आम नागरिक हैरान और क्षुब्ध है। इस समर्थन में कई तबके और समूह अपने–अपने नजरिए से शामिल हुए हैं। अब अन्ना हजारे के नेतृत्व में अप्रैल 2011 में जंतर–मंतर पर अनशन हुआ तो भारतीय उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के कारण ऊंची विकास दर का फायदा देश को नहीं मिल पा रहा है।

भारतीय पूंजीपतियों के संगठन सीआईआई ने एक बयान में कहा कि भ्रष्टाचार के कारण देश में पर्याप्त विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो पा रहा है। इस संगठन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मदद देने के लिए उद्योगपति आदि गोदरेज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया। दिलचस्प बात यह है कि लगभग इन्हीं दिनों देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों के कई तरह के भ्रष्ट कारनामों में लिप्त होने के मामले सामने आए और कुछ कंपनी पदाधिकारी तो जेल भी पहुंच गए।

जाहिर है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सहमति दिखती है वह सतही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सहमति के टूटने के डर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोग नीतियों की ज्यादा चर्चा नहीं करते। कई बार वे ऐसा दिखाते हैं मानो मौजूदा आर्थिक नीतियां, गलत विकास पद्धति, सड़े हुए औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे और पतनशील राजनीति के रहते हुए भी देश में भ्रष्टाचार को खत्म और ईमानदारी व सदाचार को कायम किया जा सकता है। कई भोले लोग कहते हैं कि नीतियां और योजनाएं सब अच्छी होती हैं, दोष केवल उनके अमल मे होता है। मौजूदा व्यवस्था और नीतियों से अलग करने पर भ्रष्टाचार महज अच्छे चरित्र की समस्या बन कर रह जाता है। ढांचे, व्यवस्था और नीतियों से हट कर हमारा ध्यान व्यक्तियों की ईमानदारी और बेईमानी पर केंद्रित हो जाता है।

अगर मामला महज इतना होता तो काम आसान हो जाता। देश के सर्वोच्च पदों पर किसी तरह सच्चरित्र व्यक्तियों को बिठाने और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने भर से भ्रष्टाचार की समस्या दूर हो जाती है। सदाचार का उपदेश देने और स्कूलों मे नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने से भी शायद काम बन जाता। मगर भ्रष्टाचार की जड़ें ज्यादा गहरी है। गौरतलब है कि भारत में घोटालों की संख्या, उनके आकार और आयाम में 1991 के बाद से काफी, बढ़ोत्तरी हुई है। यह वही वर्ष था, जब भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से भारी कर्ज लिया था और खुलकर उदारीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण, विदेशीकरण, विनियंत्रण, विनियमन का रास्ता पकड़ लिया। अगले ही वर्ष हर्षद मेहता–भूपेन दलाल वाला, विशाल शेयर–प्रतिभूति घोटाला सामने आया, जिससे सब हक्के–बक्के रह गए। इसके पहले का सबसे बड़ा घोटाला बोफोर्स तोपों के सौदे का था जिसमें करीब 55 करोड़ रुपये की दलाली के आरोप लगे थे मगर उस घोटाले का न्यूनतम अनुमान ही पांच हजार करोड़ यानी उसके करीब सौ गुना था। यह महाघोटाला नई व्यवस्था और नई नीतियों के बारे में एक बड़ी चेतावनी था, पर भूमंडलीकरण के नशे में डूबी सरकार ऐसी चेतावनियों को अनदेखा करती गई। नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक बड़े और बड़े घोटाले होते गए। खुद शेयर बाजार में फिर से केतन पारेख वाला घोटाला हुआ। फिर तो सरकार ने ही नियमों और नीतियों को बदल कर कई तरह की संदेहात्मक गतिविधियों और अवैध कामों को कानूनी रूप दे दिया। वस्तुओं का वायदा बाजार इसका एक उदहारण है। मारीशस रूट से विदेशी कंपिनयों द्वारा कर–चोरी और 'पेन' यानी पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए निवेशक का नाम गुप्त रखते हुए हवाला मार्ग से भारत के दो नंबरी धन के निवेश की इजाजत देना भी इसके उदाहरण हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका–यूरोप में भी वित्तीय उदारीकरण ने एनरॉन, सत्यम और मेडॉफ जैसे नटवरलालों के पूंजीवाद के नए संस्करण का विकास किया है।

निजीकरण और विनिवेश से लूट और घोटालों के नए दरवाजे खुल गए। अगर घाटे वाले सरकारी उपक्रम बेचे जाते तो फिर भी कुछ समझ में आता। हालांकि यह भी आम जानकारी है कि किस तरह शीर्ष पर बैठे अफसरों मंत्रियों ने जानबूझ कर इनकी हालत बिगाड़ी ताकि निजीकरण के पक्ष में माहौल बने। लेकिन सरकारें तो मुनाफा देने वाले उद्यमों और नवरत्नों को भी बेचने में लगी हैं। पहले भ्रष्ट अफसरों नेताओं ने सरकारी उपक्रमों को धर की गाय की तरह दूहने का काम किया था। पर अब उन्हें इन उपक्रमों या उनके शेयर बचेने में लूट की नई विशाल संभावनाएँ नजर आने लगी।

सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का किस्सा यहाँ भी लागू होता है जिसमें लालची मगर मूर्ख मालिक ने सोचा कि मुर्गी को मारने से इकट्ठा बहुत सोना मिल जाएगा। फर्क यही है कि देश और सरकारी राजस्व के हिसाब से यह अदूरदर्शिता हो सकती है, पर भ्रष्ट अफसरों–मंत्रियों–निगम अध्यक्षों के व्यक्तिगत स्वार्थ के हिसाब से यह समझदारी है, क्योंकि वे कल उस पद पर रहेंगे या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वे सोचते हैं जितना बटोर सकते हो, बटोर लो। कुल मिलाकर भूमंडलीकरण के दौर में खोटी नीयत और खोटी नीति का मेल हुआ है।

मुक्त व्यापार का सिद्धांत और आयात–निर्यात को बढ़ाने का आग्रह भी भारत में बड़े–बड़े घोटालों का माध्यम बना है। पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार हुआ कि पहले सरकार ने गेहूँ, चीनी या प्याज का बड़ी मात्रा में सस्ती दरों पर निर्यात किया, जिससे देश में अभाव के हालात बने और वापस मंहगी कीमतों पर उसी का आयात किया।

भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी तंत्र में नहीं होता। बाजार का भी बड़ा भ्रष्टाचार होता है। इसे शिक्षा और स्वास्थ्य के बढ़ते हुए बाजार से देखा जा सकता है। सेवा भावना, मर्यादाओं, मानवीय संवेदनाओं, पुरानी आचार संहिताओं और नैतिकता के सारे मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए शिक्षा–स्वास्थ्य की नई दुकानें पालकों और मरीजों को लूटते हुए बेहिसाब वैध–अवैध कमाई में लगी हुई हैं। पिछले दिनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के गरीब मरीजों पर नई दवाइयों के अनैतिक प्रयोगों का एक कांड सामने आया, जिनमें स्वयं संसद में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दो वर्ष आठ माह में 1514 मौंते हुई हैं। फिर भी इनमें लिप्त डॉक्टरों और कंपनियों के दलालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही बाजारवाद के चैंपियनों के चेहरों पर कोई शिकन आई।

जमीन, जल, जंगल, खनिज आदि के निजीकरण, बाजारीकरण, और विनियंत्रण ने इनकी लूट मचा दी है। शिक्षा, चिकित्सा, दूरसंचार के साथ जमीन–जायदाद, निर्माण और खनन को जोड़ दें तो आज के सबसे ज्यादा कमाई वाले धंधे बन गए हैं। इनमें पूंजी, अपराध, दलाली, राजनीति और अफसरशाही का नया कुत्सित गठजोड़ विकसित हुआ है। पहले शराब माफिया, सट्टा माफिया और ड्रग माफिया के बारे में सुना जाता था। अब शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, जमीन माफिया और खनन माफिया के चेहरे सामने आने लगे हैं।

भारत के अंदर और बाहर जमा जिस दो नंबरी धन का मुद्दा इन दिनों काफी उछला है, उसमें भी कथित आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के साथ बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है। **'ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी'** के देवकर के एक अध्ययन से यह बात सामने

आई है, कि अत्यधिक नियंत्रण, पांबदियों और ज्यादा करारपोण से लोग दो नंबर में व्यवसाय करने को मजबूर होते हैं।

आयात–निर्यात और विदेशी मुद्रा विनियम पर अत्यधिक पाबंदियों और शुल्कों के कारण तरक्की और हवाला कारोबार को बढ़ावा मिलता है। अगर इन्हें हटा दिया जाएगा तो भारत में काले धन, तस्करी और अवैध करोबारों की समस्या बहुत कम रह जाएगी। लेकिन इससे ठीक उलटा हुआ है। आर्थिक सुधारों ने भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकृतियां तो पैदा की ही हैं, इसे नैतिक रूप से बिगाड़ा है।

भारतीय समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार का गहरा संबंध गैरबराबरी, विलासिता के नंगे नाच और उपभोक्ता संस्कृति से भी है। एक ओर अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, विधायक–मंत्री से लेकर अफसर तक, बेहिसाब कमाई करते हुए विलासिता में आकंठ डूबने का प्रदर्शन करते हैं और उन्हें भारतीय समाज के हीरों के रूप मे पेश किया जाता है, दूसरी ओर होश संभालते ही छोटे बच्चों के अबोध मन पर टीवी के द्वारा उपभोक्ता माजल के विज्ञापनों का दिन–रात हमला शुरू हो जाता है। अधिकाधिक उपभोग, भौतिक सुखों की ललक, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, होड़ और गलाकाट प्रतिस्पर्धा को प्रगति के लिए जरूरी मान कर इन्हें वांछनीय गुणों और लक्ष्यों का दर्जा दिया जाता है। ऐसे हालात में ईमानदारी सादगी, संयम, भाईचारा, भलमनसाहत, नैतिकता और देशप्रेम की ज्यादा गुंजाइश कहां रह जाती है? भ्रष्टाचार एक तरह से पूंजीवादी सभ्यता और विकास के आधुनिक मॉडल में निहित है।

भ्रष्टाचार का एक रिश्ता प्रशासन के उस केंद्रीकृत औपनिवेशक ढांचे से भी है जिसे मूलतः अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की जरूरत के हिसाब से खड़ा किया था। जनता से दूरी, जनता के प्रति हिकारत, ऊंच–नीच की सीढ़ियां, साहबीपन, खुशामद, जी–हुजूरी, घूसखोरी, लालफीताशाही आदि की नींव ब्रिटिश राज में ही पड़ गई थीं जिसकी एक झलक नब्बे साल पहले लिखी प्रेमचंद की कहानी, 'नमक का दरोगा' मे मिलती है। प्रशासन के ढांचे को बुनियादी रूप से बदले बगैर और सत्ता के ढांचे को सही मायने मे विकेंद्रित करके जनता के अधीन किए बगैर भ्रष्टाचार की व्यापक बीमारी के इलाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो मौजूदा नीतियों और आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक ढांचे में बड़े और बुनियादी बदलाव करने होंगे। एक वैकल्पिक यानी क्रांतिकारी राजनीति को नीचे से खड़ा करने और उसे समतामूलक भारत के निर्माण की विचारधारा से लैस करने की जरूरत होगी। इस नजरिए से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को शोषण, गरीबी, गैरबराबरी, महंगाई और विस्थापन के खिलाफ चल रहे आंदोलनों के साथ स्वयं को जोड़ना होगा।

भ्रष्टाचार खत्म करने हेतु इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर ब्लाग और यू–ट्यूब जैसे औजारों के रूप में

भ्रष्टाचार से पस्त और त्रस्त लोग अब इस महामारी के खिलाफ हर बेहतर मुहिम से जुड़ना चाहते हैं। इंटरनेट और मोबाइल की उपस्थिति ने इस अकुलाहट को आवाज़ देना शुरू किया है। इसका अग्रणी उदाहरण है अन्ना की अगुवाई में इंडिया अगेंस्ट करप्शन को नेट पर मिली सफलता। अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी जानकारियां साझा करने के लिए निर्मित वेबसाइट इंडिया

अगेंस्टकरप्शनडॉट ओआरजी पर अनशन आरंभ होते ही समर्थकों की संख्या शुरुआती दिनों में ही 10 लाख पार कर गई। बेंगलुरू की एक निजी फर्म की शोध के मुताबिक अन्ना के अनशन के पहले तीन दिन में 8,26,000 लोगों ने इस विषय पर 44 लाख से अधिक ट्वीट किए थे। दूसरी ओर बाबा रामदेव के आंदोलन को लेकर ट्विटर और फेसबुक पर मिली–जुली प्रतिक्रिया रही। रामदेव के नाम से बने फेसबुक पेजों पर अचानक समर्थन बढ़ गया। **'बाबा 'रामदेव बाबा रामदेव सपोर्ट'** पेज पर एक लाख से अधिक लोगों ने समर्थन दिया। दो–चार हजार लोगों के समर्थन वाले तो सैकड़ों पेज हैं। लेकिन माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रतिक्रिया ज्यादातर नकारात्मक रही। ट्विटर सेंटीमेंट एनालिसिस टूल ने रामदेव से जुड़े ट्वीट में 70 फीसदी नकारात्मक ट्वीट दर्ज किए। ट्विटर पर जाने–माने सेलेब्रिटी लोगों की तारीफ से भी बाबा को ज्यादा सर्मथन नहीं मिला, जबकि अन्ना के मामले में ऐसा नहीं था। अभिनेता मनोज वाजपेयी का कहना है कि–'अन्ना हजारे ने देश के शहरी वर्ग और युवाओं को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ झटके में खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर यही लोग अधिक सक्रिय हैं। संभव है कि लोगों की नजर में विश्वसनीयता के मामले में भी **अन्ना बाबा रामदेव** से आगे हों।'

बेशक अन्ना हजारे और रामदेव की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के चलते सोशल मीडिया पर भी भ्रष्टाचार विरोधी तेवर ज्यादा दिखाई दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का बिगुल इनकी वजह से ही फूंका गया। नेट पर कई लोग और संस्थाएँ अपनी सामर्थ्य और रणनीति के अनुरूप भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक हित के मुद्दों की ऑनलाइन वकालत करने वाली गैर लाभकारी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'आवाज' ने भारत में भी भ्रष्टाचार–विरोधी मुहिम को हाथो–हाथ लिया है। यह संस्था चार महाद्वीपों और 193 देशों में काम कर रही है जिसके जनहित के मुद्दों पर अपने सफल अभियानों से दुनिया भर के मीडिया का ध्यान खींचा है। इससे जुड़े लोगों की संख्या 90 लाख को पार कर चुकी है। भारत में आवाज तीन साल से सक्रिय है। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान जनलोकपाल विधेयक के लिए आवाज की साइट आवाजडॉटओआरजी पर महज 36 घंटों के भीतर 6,50,000 लोगों ने ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। जनलोकपाल विधेयक को लेकर इन दिनों आवाज की तरफ से 'सेंड ए मैसेज' कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और जनलोकपाल विधेयक के लिए गठित समिति में शामिल पांचों मंत्रियों को ई–मेल किए गये। इस कड़ी में 55 हजार से अधिक ई–मेल किए गये थे। केन्द्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग ने माना है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के अधीन लाने की मांग को लेकर उसके पास 11,000 से अधिक ई–मेल आए थे। इंटरनेट पर एक दिलचस्प मुहिम आईपेडएब्राइब डॉटकॉम की भी है। इस साइट का नारा है–भ्रष्टाचार की बाजार कीमत का खुलासा करना। रिश्वत देने, न देने या देने लायक पैसा न होने जैसी श्रेणियों में लोग अपनी व्यथा इस साइट पर कह सकते हैं। करीब, 11,000 लोग इस पर अपनी व्यथा रख चुके हैं। साइट के मुताबिक रिश्वत के मामले में मुंबई अभी सबसे आगे है। इसके बाद बेंगलुरू, नोएडा, चेन्नई, और नई दिल्ली का नंबर आता है। इस साइट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों की देश में लंबी कतार है। एसोसिएशन फॉर

डेमोक्रेटिक रिफॉर्स की साइट एडीआरइंडियाडॉटओआरजी की साइट पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा हैं। कर्नाटक में साकूडॉटइन के रूप में एक अलग मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है। इस साइट का नारा है–वी कैन एंड करप्शन, यस वी कैन (हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, हां, हम कर सकते हैं)। इस साइट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से लेकर समस्या से पार पाने की अलग–अलग कई कहानियां रोजाना दर्ज हो रही हैं। राष्ट्रमंडल खेल के दौरान शिवेंद्र सिंह चौहान का भ्रष्टाचार केंद्रित कॉमनवेल्थ झेल कैंपेन भी खासा लोकप्रिय हुआ था। टाटा टी का जागो रे अभियान अलग किस्म का है, जो टेलीविजन से सोशल मीडिया तक दिखता है।

हल्लाबोल की सीमा यह है कि अभी देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की गिनती 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हैं। इनमें से भी ज्यादातार ई–मेल जैसे छोटे–मोटे कामों के लिए ही नेट का प्रयोग करते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार विरोधी संदेश ने तो देश की व्यापक जनता तक पहुंच सकता है और न ही व्यापक जनता का आक्रोश यहाँ दर्ज होता है। फिर भी सोशल मीडिया में बात जंगल में आग की तरह फैलती है और देखते–देखते झटके मे ंसरहदों से पार निकल जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम इसी वजह से साइबर दुनिया में सफल हो रही है। बेशक ऑनलाइन सफलता और जमीनी सफलता में अंतर है, लेकिन दो राय नहीं कि जमीनी स्तर पर आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का आक्रोश वर्चुअल दुनिया में व्यक्त हो रहा है। ग्वालियर के युवा राघवेंद्र शर्मा कहते हैंः मैं इंटरनेट पर ज्यादा सक्रिय नहीं हूँ लेकिन हाल के आंदोलनों को वर्चुअल दुनिया मे ंमिली सफलता को देख–समझ रहा हूँ। ग्वालियर जैसे शहरों में भी अब नेट इस्तेमाल करने वाले काफी लोग हैं और यहाँ नेट के जरिए स्थानीय आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। भ्रष्टाचार विरोधी छोटी–छोटी ऑनलाइन कोशिशें अब दबाव समूह के रूप में भी उभर रही हैं।

मिसाल के लिए टूंडला (आगरा) के शीतगृह मालिक अश्विनी पालीवाल ने अपने हक की लड़ाई फेसबुक पर लड़ी। फेसबुक पर आगरा जिला प्रशासन का पेज है। मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने की अपनी मुहिम को कामयाब बताते हुए जब अपनी ही पीठ ठोंकी तो अश्विनी ने लिखा आपने भले ही लोगों को जागरूक किया हो, लेकिन मुझे मेरे वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अश्विनी कई कोशिशों के बावजूद अपना व परिवार के सदस्यों के मतदाता पहचान पत्र नहीं बनवा पा रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें रिश्वत देकर काम करने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना।

फेसबुक पर शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगी तो अश्विनी ने सख्त शब्दों में लिखा– 'क्या मैं मान लू कि वोट डालने का मेरा संवैधानिक अधिकार मुझे नहीं मिल पाएगा?' बस 'संवैधानिक अधिकार' का हवाला देते ही जिला निर्वाचन कार्यालय ने उनकी शिकायत का निपटारा एक दिन के भीतर कर दिया। गांव–कस्बे, शहर और देश की सीमा से परे इंटरनेट को मोबाइल फोन ने भी नई धार दी है। मिस्त्र से लीबिया तक के कई मुल्कों में इस धार का असर देखा चुका है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ नेट पर जारी मुहिम अपनी कार्यप्रणाली में बेहद लोकतांत्रिक है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यधारा का मीडिया भी अब

सोशल मीडिया पर घट रही गतिविधियों को लेकर खासा सचेत है। यही कारण है कि साइबर दुनिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल का प्रभाव पहला मौका मिलते ही वास्तविक दुनिया में भी सामने आता है। आपातकाल और उसके बाद हुए चुनाव के दौरान आज की तुलना में मीडिया के अत्यंत सीमित प्रभाव के बावजूद सूचनाएँ तेजी से सारे देश में फैल जाती थी।

आज इंटरनेट इस प्रक्रिया और इसके प्रभाव को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। सरकारों के लिए यही कम खतरे की बात नहीं है।

भ्रष्टाचार खत्म करने का आधार लोकपाल एवं जनलोकपाल विधेयक

अन्ना हजारे के अनशन के पश्चात प्रस्तावित लोकपाल विधेयक दो प्रारूप मे जनता के समक्ष लाया गया है। एक सरकारी लोकपाल जो विधेयक तैयार करने के लिए बनाई गई दस सदस्यीय समिति मे शामिल पांच केन्द्रीय मंत्रियों ने सामने रखा है और दूसरा जन लोकपाल जो समिति में शामिल टीम अन्ना हजारे के सदस्यों ने तैयार किया है। दोनों प्रारूपों में कहाँ क्या फर्क है? और कौन सा विधेयक मजबूत और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में प्रभावी होगा अतः इन दोनों विधेयकों में निम्नांकित बाते सामने आती हैं।

जन लोकपाल का गठन

लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य और विभिन्न स्तरों के कई अधिकारी होंगे, जो इस कानून के तहत कार्य निर्वहन करेंगे। लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य बनने के योग्य निम्न नही होंगे–

1. जो भारतीय नागरिक हो और 45 साल से कम उम्र का न हो और जिस पर किसी अदालत में कोई मुकदमा न चल रहा हो।
2. जो किसी सरकार की सेवा में न हो या और दो साल पहले तक इस्तीफा देकर या सेवानिवृत्ति पाकर पद से हटा हो।
3. लोकपाल के कम से कम 4 सदस्य कानूनी पृष्ठभूमि के होंगे। (कानूनी पृष्ठभूमि से मतलब यह है कि देश के किसी हिस्से में कम से कम 10 साल तक न्यायिक अधिकारी के पद मे हो या कम से कम 15 साल से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हो।)

लोकपाल सदस्यों की चयन समिति में निम्न होंगे–(1) प्रधानमंत्री चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। (2) लोकसभा में विपक्ष का नेता (3) सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के निर्वाचकमंडल द्वारा चुने गए हाईकोर्ट के दो मुख्य न्यायाधीश (4) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (5) नियंत्रण व महालेखाकार (6) लोकपाल के सभी पूर्व अध्यक्ष (7) चयन समिति अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों का चयन सर्च कमेटी के द्वारा चुने गए नामों में से करेगी। (8) अध्यक्ष कानून का वृहद् जानकार बनाया जाएगा। (9) सर्च कमेटी के 10 सदस्य होंगे।

इसके पांच सदस्य चयन समिति द्वारा चुने जाएंगे, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व नियंत्रण एवं महालेखाकार होंगे, बशर्ते उनका कॅरियर बेदाग रहा हो और सेवानिवृत्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल न हुए हों तथा किसी सरकार सेवा से संबंद्ध न हों।

मुद्दे और दायरे

लोकपाल पीठः किसी मामले की सुनवाई के लिए लोकपाल के दो या उससे अधिक सदस्यों की पीठ बनाई जा सकेगी। हर पीठ में एक सदस्य कानूनी पृष्ठभूमि का हो। पूरी पीठ अध्यक्ष के साथ या उसके बिना 7 सदस्यों की होगी।

भ्रष्टाचार क्या है

(1) भारतीय दंड सहिता के अध्याय 9 या भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत आने वाले सभी मामले इसमें किसी सदन के निर्वाचित सदस्य के सदन में बयान या वोट से संबंधित दंडनीय मामले में भी शामिल होंगे। (2) कानून या नियमों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को जानबूझ कर दिया गया है किसी लोकसेवक से हासिल किया गया अनुचित लाभ (3) किसी गवाह या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले का उत्पीड़न (4) किसी लोकसेवक द्वारा नागरिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन। (5) 'सरकारी अधिकारी' से मतलब उस लोकसेवक से है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि या न्यायिक अधिकारी न हो। (6) इस काननू के तहत दंड बर्खास्तगी या ओहदे में कटौती होगी।

लोकपाल के कार्यकलाप

(1) किसी भ्रष्टाचार के मामले में जांच पूरी होने के बाद सरकारी अधिकारी की बर्खास्तगी या ओहदा घटाने का दंड देना, लेकिन उसके पहले सुनवाई का पूरा मौका देना। (2) यह आश्वस्त करना कि इस कानून के तहत की गई शिकायतों का समय पर निबटारा हो।

लोकपाल के तहत अधिकारियों के अधिकार

(1) लोकपाल के जांच अधिकारियों को जांच पड़ताल के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत हासिल पुलिस अधिकारियों के सभी अधिकार हासिल होंगे। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून 1999 और मनी लॉन्डरिंग प्रिवेंशन कानून 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को हासिल अधिकार भी उनके पास होंगे। (2) किसी को बुलाने और शपर्थपूर्वक बायन लेने और जिरह करने के अधिकार होंगे। (3) कोई दस्तावेज हासिल करने और मांगने के अधिकार होंगे। (4) किसी सरकारी दफ्तर या अदालत से सार्वजनिक दस्तावेज हासिल करने के अधिकार होंगे। (5) गवाहों से जिरह और दस्तावेजों की जांच के अधिकर होंगे। (6) लोकपाल के सभी सदस्यों और जांच अधिकारी के ओहदे से ऊपर सभी अधिकारियों को किसी जांच अधिकारी के जैसे ही अधिकार हो सकते हैं। (7) अगर कोई लोकसेवक लोकपाल पीठ के आदेश की अवहेलना करता है तो उसे छह महीने की जेल या जुर्माना अथवा दोनों का दंड दिया जा सकता है। (8) अगर जांच के दौरान लोकपाल को यह लगता है कि किसी सरकारी अधिकारी के पद पर बने रहने से जांच में प्रतिकूल असर पड़ सकता है या वह अधिकारी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है या भ्रष्टाचार जारी रख सकता है तो लोकपाल उस सरकारी अधिकारी के संबंधित पद से तबादले का आदेश जारी कर सकता है। (9) लोकपाल जांच के दौरान किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार से हासिल की गई संपत्ति को छुपाने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश या संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई

करने का निर्देश दे सकता है। (10) भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल की संबंधित पीठ को भारतीय टेलीग्राफ कानून की धारा 5 के तहत टेलीफोन टैपिंग, रिकॉर्डिंग या सूचना–प्रौद्योगिकी कानून 2000 व भारतीय टेलीग्राफ कानून 1885 के तहत इंटरनेट या दूसरे माध्यमों को भी खंगालने या उसे टैप करने का अधिकार होगा। (11) किसी भवन, संपत्ति या दस्तावेज की जांच–पड़ताल के लिए सर्च वांरट जारी कर सकता है। जांच पुलिस इंस्पेक्टर स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा।

लोकपाल की जवाबदेही

लोकपाल अध्यक्ष या सदस्य को हटाने से संबंधित किसी व्यक्ति की शिकायत पर जांच में अगर निम्न बातें पाई जाएं तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को लोकपाल अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने की सिफारिश कर सकता है। जैसे– (1) उसे दुर्व्यवहार को दोषी पाया जाए। (2) शारीरिक या मानसिक दुर्बलता की वजह से वह पद पर बने रहने के योग्य न रहे। (3) पद पर रहते हुए अगर वह कोई अन्य पारिश्रमिक पा रहा हो। (4) ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष या सदस्य को मुअत्तल करने का भी आदेश दे सकता है। (5) सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं। (6) अगर शिकायत निराधार हो या दुर्भावना से प्रेरित हो तो सुप्रीम कोर्ट या जुर्माना संबंधित व्यक्ति को एक साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों सुना सकता है।

लोकपाल के आदेशों के खिलाफ अपील

लोकपाल की किसी पीठ या अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के खिलाफ संविधन की धारा 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है।

ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा

निम्न व्यक्तियों के खिलाफ लोकपाल की सात सदस्यीय पीठ की अनुमति के बिना जांच या मुकदमा नहीं चलाया जाएगा–(1) प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का कोई सदस्य। (2) सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का कोई जज। (3) संसद सदस्य।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की समयबद्ध कार्रवाई

(1) जांच अधिकारी को हर मामले में जांच छह महीने के भीतर पूरी करनी होगी। हालांकि जरूरी होने पर वह लोकपाल की पीठ से समय बढ़वा सकता है। लेकिन, हर हाल में जांच 18 महीने में पूरी करनी होगी। (2) भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत विशेष अदालतों में मुकदमा अधिकतम 12 महीने में संपन्न करना होगा। (3) हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस कानून के तहत मुकदमे की सुनवाई त्वरित गति से संपन्न कराने के लिए उचित संख्या में विशेष पीठों की स्थापना करेंगे।

भ्रष्टाचार विरोधी आवाज उठाने वालों को प्रथम प्रश्रय

(1) किसी सार्वजनिक प्राधिकार में किसी तरह के भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले किसी अधिकारी या व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाएगा। लोकपाल उसकी गोपनीयता बरकरार रखेगा। (2) भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को किसी तरह के शारीरिक या प्रशासनिक उत्पीड़न से पूरी

सुरक्षा प्रदान करना लोकपाल का दायित्व होगा। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला चाहता हो तो उसकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी।

दंड विधान

(1) भ्रष्टाचार के किसी मामले में दंड छह महीने सश्रम कारावास से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। (2) अगर भ्रष्टाचार का लाभार्थी कोई व्यावसायिक संस्थान है तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून और इस कानून के तहत दंड के अलावा सार्वजनिक क्षति का पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा और वह व्यावसायिक संस्थान की संपत्ति तथा उसके अर्पाप्त होने की स्थिति में प्रबंध निदेशकों की व्यक्तिगत संपत्ति से हासिल किया जाएगा। (3) अगर कोई कंपनी या उसका कोई अधिकारी या निदेशक भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो वह कंपनी तथा कंपनी के प्रमोटर से संबंधित सभी कंपनियों को काली सूची मे डाल दिया जाएगा और उसे भविष्य में हर तरह के सरकारी काम या ठेके से वंचित कर दिया जाएगा। (4) भ्रष्ट सरकारी अधिारियों से जुर्माना वसूला जाएगा और उनकी संपत्ति की जब्ती–कुर्की की जाएगी। (5) विशेष अदालत दोषी सरकारी अधिकारियों की भ्रष्टाचार से अर्जित तमाम संपत्ति की जब्ती–कुर्की का आदेश दे सकती है।

लोकपाल का बजट

लोकपाल के सभी खर्चे समायोजित निधि (कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) से पूरे किए जाएंगे।

सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का लोकपाल में विलय

(1) भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत जांच और मुकदमें से जुड़े दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून के तहत अधिकारी, संपत्ति और जवाबदेही लोकपाल के अधीन आ जाएगी। केन्द्र सरकार का इस शाखा और इसके अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई अधिकार नहीं होगा, (2) दिल्ली विशेष पुलिस कानून के तहत या शाखा लोकपाल की जांच इकाई का हिस्सा होगी।

सरकारी लोकपाल का गठन जांच शाखा

(1) लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 4 न्यायिक अधिकारी होंगे। (2) अध्यक्ष या सदस्य बेदाग चरित्र वाले और असाधारण क्षमताओं वाले होने चाहिए। (3) न्यायिक अधिकारी के तौर पर सदस्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीमकोर्ट का जज होना चाहिए। (4) अध्यक्ष संसद या किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होगा और किसी ट्रस्ट का सदस्य या लाभ के पद पर नहीं होगा। वह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं होगा या उसका कोई व्यवसाय या पेशा नही होगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा चयन समिति

चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। चयन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा–(1) प्रधानमंत्री उसके अक्ष्यक्ष होंगे। (2) सदस्यः लोकसभा अक्ष्यक्ष (3) प्रधानमंत्री जिस सदन के नेता हैं, उसके दूसरे सदन के

नेता। (4) गृहमंत्रालय के प्रभारी मंत्री। (5) लोकसभा में विपक्ष के नेता। (6) राज्यसभा में विपक्ष के नेता। (7) सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के एक जज। (8) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त हाईकोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश। (9) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष। (10) चयन समिति के सचिव, कैबिनेट सचिव होंगे। (11) चयन समिति अगर जरूरी समझे तो लोकपाल अध्यक्ष और उसके सदस्यों के चयन के लिए नामों का एक पैनल बनाने के खातिर एक सर्च कमेटी गठित कर सकती है। इस सर्च कमेटी के सदस्यों को सार्वजनिक मामलों, प्रशासनिक कानून और नीतियों, अकादमिक, व्यवसाय व उद्योग, विधि सेवा, वित्त व प्रबंधन में कम से कम 25 साल का अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। चयन समिति इस मामले में जो भी योग्यता उपयोगी समझे।

अध्यक्ष–सदस्यों का कार्यकाल

(1) अध्यक्ष और हर सदस्य का कार्यकाल पांच साल का या 70 वर्ष की उम्र हासिल करने तक होगा, जो भी पहले हो। (2) बशर्ते वह उसके पहले अपना हस्तलिखित इस्तीफा राष्ट्रपति को न भेजे। (3) धारा 8 के तहत उसे पद से मुक्त भी किया जा सकता है। (4) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन–भत्ते तथा दूसरी सेवा शर्तें इस प्रकार होंगी। अध्यक्ष का दर्जा देश के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा जबकि दूसरे सदस्यों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का निलंबन और बर्खास्तगी

उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को राष्ट्रपति आदेश से पद से हटाया जा सकता है। बशर्ते सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित दुर्व्यवहार की शिकायत पर जांच में उन्हें दोषी पाए।

अध्यक्ष या सदस्यों के पद छोड़ने के बाद नियुक्ति पर पांबदी

(1) पद से हटने के बाद अध्यक्ष या दूसरे सदस्य पुनर्नियुक्ति के अयोग्य होंगे। (2) भ्रष्टाचार निरोध कानून 1988 के तहत दंडनीय पाए जाने पर किसी लोकसेवक के खिलाफ लोकपाल जांच इकाई गठित कर सकता है। (3) किसी तरह की जांच पुलिस उपमहानिरीक्षक या उसके दर्जे के बराबर अधिकारी के नीचे के अधिकारी नहीं कर सकेंगे।

लोकपाल के निर्देश पर जांच करने वाले अधिकारी

(1) लोकपाल भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अपने आदेश से जांच शाखा के किसी अधिकारी को जांच का निर्देश दे सकता है। उसे समयबद्ध तरीके से जांच करनी होगी और लोकपाल को संतुष्ट करना होगा। (2) जांच अधिकारी को उपधारा (1) के तहत निर्देश मिलने पर तय समय से जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

अभियोजन शाखा

अभियोजन निदेशक की नियुक्ति

(1) लोकपाल अधिसूचना के जरिए अभियोजन शाखा गठित कर सकता है और अभियोजन निदेशक तथा दूसरे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है। (2) लोकपाल के निर्देश पर अभियोजन निदेशक विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराएगा

ओर भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत संबंधित लोकसेवक के खिलाफ अभियोजन से संबंधित सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

लोकपाल का बजट

लोकपाल के तमाम खर्चे, अध्यक्ष व सदस्यों व सचिव व अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी वेतन–भत्तों और पेंशन और आदि समायोजित निधि (कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) से दिए जाएंगे लोकपाल की कोई फीस या दूसरे तरह का धन भी इसी निधि से दिया जाएगा।

जांच के दायरे

(1) इस कानून के तहत लोकपाल किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत की जांच कर सकेगा। शिकायत किनके खिलाफ की जा सकेंगी उसकी शर्तें इस प्रकार होंगी। **(2)** प्रधानमंत्री के अलावा जो केंद्रीय मंत्री है या रहा है। **(3)** संसद के किसी सदन का जो सदस्य है या रहा है। **(4)** केंद्र में वर्ग ए या उसके बराबर या उससे ऊपर का अधिकारी है या रहा है। **(5)** धारा सी में वर्णित कोई संस्था या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या स्वायत्त संस्था, जो केन्द्र सरकार के अधीन हो, उसका विभागाध्यक्ष या अधिकारी जो वर्ग ए के बराबर हो। **(6)** विदेशी योगदान (नियंत्रण) कानून 1976 के तहत पूर्ण या अर्ध सरकारी आर्थिक सहायता या सार्वजनिक चंदा पाने वाला कोई और संस्था, ट्रस्ट, समूह (जो मौजूदा कानूनों के तहत पंजीकृत हो या न हो) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या उसका कोई अधिकारी। **(7)** शर्त यह है कि लोकपाल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सदन या संसदीय समिति में दिए गए वक्तव्य या वोट, जो संविधान के अनुच्छेद 105 की धारा (2) के तहत शामिल हों, के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी तरह के आरोप या ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकेगा।

जांच पड़ताल की प्रक्रिया

(1) उपधारा (1) के तहत हर तरह की शुरुआती जांच सामान्य तौर पर 30 दिनों में पूरी करनी होगी। जरूरी होने और लिखित में मांग करने पर शिकायत की अवधि से अधिकतम तीन महीने तक का समय बढ़ाया जा सकता है। **(2)** शुरुआती जांच और उपधारा (3) के तहत रिपोर्ट सौंपने के बाद यदि लोकपाल इस नतीजे पर पहुंचता है कि संबंधित लोकसेवक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो लोकपाल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उस लोक सेवक को सुनवाई का मौका देगा। **(3)** जांच पूरी होने पर अगर लोकपाल की राय यह बनती है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो आरोप पत्र दाखिल करने के पहले संबंधित लोक सेवक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई का एक और मौका दिया जाएगा। **(4)** अगर लोकपाल जांच के बाद शिकायत दर्ज कराने का फैसला करता है तो शिकायत की तारीख से छह महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया तेजी से संपन्न करनी होगी और अगर जरूरी हुआ तथा लिखित में समय बढ़ाने की मांग की गई तो अधिकतम अगले छह महीने तक इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर लोकपाल किसी शिकायत पर जांच करवाना चाहता है तो वह निम्न निर्देश दे सकता है–**(1)** जांच के लिए जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए आदेश दे सकता है। **(2)** शिकायत की एक प्रति संबंधित लोकसेवक के पास भेज सकता है। ताकि वह सफाई दे सके। **(3)** लोकपाल उन

दस्तावेजों और सबूतों को अपने कब्जे में ले सकता है, जो विशेष अदालत तक मामला साबित करने के लिए जरूरी लगते हों।

लोकपाल को जांच और अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति जरूरी नहीं

लोकपाल या उसकी जांच शाखा को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून 1946 की धारा 6 (ए), या अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 या भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा 19 के तहत किसी लोकसेवक के खिलाफ शिकायत की जांच और अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

मंत्री या संसद सदस्य के खिलाफ जांच की प्रक्रिया

(1) जांच रिपोर्ट के बाद लोकपाल विशेष अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है और इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी को भेज सकता है। (2) मंत्री या लोकसभा के सदस्य की शिकायत की प्रति लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य की शिकायत की प्रति राज्यसभा, सभापित को यथा संभव शीघ्र दी जाएगी और उसे सदन के पटल पर रखना होगा। अगर सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो उसे अगले सत्र के शुरू होने के हफ्ते भर में इसे सदन के पटल पर रखना होगा।

लोकपाल के अधिकार

(1) अगर लोकपाल को लगता है कि कोई दस्तावेज संबंधित जांच के लिए जरूरी है तो वह जांच अधिकारी को उस दस्तावेज की पड़ताल और जब्ती का आदेश दे सकता है। (2) उसे किसी व्यक्ति को बुलाने और शपथपूर्वक बयान देने और जिरह का अधिकार होगा।

लोकपाल अवमानना

लोकपाल को अवमानना के लिए कार्रवाई का वही अधिकार होगा, जैसा कि अदालत अवमानना कानून 1971 के तहत हाईकोर्ट के अधीन है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाएं लेने का अधिकार

लोकपाल जांच के लिए जरूरी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं हासिल कर सकता है।

संपत्ति जब्ती का अधिकार

लोकपाल या उसका कोई जांच अधिकारी अगर कुछ जब्त करना चाहता है तो उसकी वजह लिखित में दर्ज करनी होगी।

संपत्ति जब्ती की दृष्टि

विशेष अदालत अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि भ्रष्टाचार की शिकायत वाले लोक सेवक की भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित संपत्ति जब्त करनी चाहिए तो उसके लिए वह आदेश दे सकती हैं। अगर लोकसेवक अंततः आरोपों से बरी हो जाता है तो विशेष अदालत के आदेश से जब्त उसकी संपत्ति जब्ती की अवधि के दौरान उसके लाभ समेत उसे वापस की जाएगी।

लोकपाल को तबादलों का अधिकार

अगर लोकपाल प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के आरोप को पुष्ट पाता है तो वह संबंधित लोक

सेवक को सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के साथ केंद्र सरकार से जांच की अवधि तक उसके तबादले या निलबंन की सिफारिश कर सकता है। केंद्र सरकार उपधारा (1) के तहत लोकपाल की सिफारिश सामान्य तौर पर स्वीकार करेगी। मगर इसके लिए लिखित वजहें प्रशासनिक कारणों से पर्याप्त न पाए जाने पर अस्वीकार कर सकती है।

विशेष अदालतें

उपधारा (1) के तहत विशेष अदालतें गठित की जाएंगी, जो हर अभियान को सालभर के भीतर संपन्न करेंगी।

लोकपाल अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों के प्रति शिकायतें

(1) लोकपाल अध्यक्ष या किसी सदस्य के खिलाफ शिकायत की जांच का अधिकारी नहीं होगा। **(2)** लोकपाल अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ शिकायत राष्ट्रपति के पास भेजनी होगी। **(3)** राष्ट्रपति पूर्वाग्रह या भ्रष्टाचार की शिकायत प्रथम दृष्टया पुष्ट पाने पर देश के मुख्य न्यायाधीश को जांच के लिए संदर्भित कर सकते हैं।

संपत्ति की घोषणा

इस कानून के तहत हर लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी। हर लोक सेवक को पद संभालने के 30 दिन के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, उसमें उसकी पत्नी और आश्रित बच्चों की संपत्ति का भी ब्योरा देना होगा।

नागरिक अधिकार

केन्द्र सरकार का हर मंत्रालय, विभाग या दफ्तर या केंद्र सरकार से संबंधित कोई संस्था,बोर्ड निगम, कंपनी या सोसायटी अथवा सरकार के द्वारा धन प्राप्त करने वाले या विदेशी योगदान (नियंत्रण) कानून अथवा सार्वजनिक चंदा पाने वाले सभी संस्थाएँ एक नागरिक अधिकार चार्टर बनाएंगे।

दंड विधान

कोई भी गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायत पर इस कानून के तहत दो साल तक न्यूनतम सजा होगी। मगर यह पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना न्यूनतम 25000 रूपए और अधिकतम दो लाख रुपए तक लगाया जा सकता है।

लोकसेवक की अच्छी नीयत से कार्रवाई पर सुरक्षा

अच्छी नीयत या अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए किसी लोकसेवक के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार यदि उपर्युक्त लोकपाल या जनलोकपाल विधेयक सम्पूर्ण शर्तो के साथ लागू हो जाता है तो निश्चित ही भ्रष्टाचार में कुछ अंकुश तो लगेगा ही पर नासूर बन गए इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ और भी कड़े उपाय करने पड़ेंगे।

निष्कर्ष यह है कि भारत में भ्रष्टाचार चरम पर है यदि इसे रोकने हेतु पहले अभियान चला गया होता और लोकपाल जनलोकपाल विधेयक लागू हो जाता तो शायद स्थिति कुछ अलग होती। 21 वीं सदी का भ्रष्टाचार सिर्फ प्रशासन तक ही सीमित नहीं है यह कारोपोरेट क्षेत्र सेवा क्षेत्र, स्थानीय स्व–शासित निकायों,

राजनीतिक, दलों, शिक्षा व्यवस्था निकायों, राजनीतिक दलों, शिक्षा व्यवस्था धार्मिक संस्थानों, मनोरंजन उद्योग, रक्षा के कुछ विभागों, न्यायपालिका, तथा निर्वाचन प्रक्रिया, हर जगह व्याप्त है। सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का अलग चरित्र और रणनीति है। इसके अलावा भारत और विदेश, दोनों ही जगह मौजूद काला धन बेहिसाब भ्रष्टाचार का स्त्रोत है। इन सभी क्षेत्रों के संबध में अलग–अलग रणनीतियाँ बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी व्यापक आंदोलन नहीं छेड़ा जा सकता जो भारत के संपूर्ण भ्रष्टाचार को अपने अंदर समाहित कर ले। इसके अलावा व्यावहारिक कारणों से भी कोई अखिल भारतीय जन अथवा सामाजिक आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता। सबसे बढ़ कर तो यह कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय आंदोलन नहीं शुरू हो पाने का एक विशिष्ट कारण है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक बहस लगभग पूरी तरह कानूनी एवं प्रशासनिक उपायों तक सीमित रही है जो कि प्रभावहीन अथवा व्यर्थ साबित हो चुके हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के मूल कारण अर्थात् चेतना के भ्रष्टाचार अथवा जनमानस के सामूहिक भ्रष्टाचार को संबोधित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकारों को भ्रष्टाचार के मूल कारण चेतना के भ्रष्टाचार पर भी विचार किया जाना चाहिए। चेतना के भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है यह सामूहिक जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है–जैसे कि घरेलू हिंसा को घटनाओं पर दृष्टिगत हों तो 65 प्रतिशत भारतीय पुरूष यह मानते हैं कि महिलाओं को परिवार की एकता के लिए हिंसा को बर्दाश्त करना चाहिए और कई बार तो महिलाएं पिटने का काम ही करती हैं। कुछ समय पूर्व हुए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से यह बात उजागर हुई है कि 25 प्रतिशत भारतीय पुरुष किसी न किसी बिंदु पर सेक्स हिंसा के दोषी रहे हैं। लगभग 20 प्रतिशत ने वह स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी संगिनी के साथ शारीरिक संबंध कायम करने में जबरदस्ती की है। दूसरे शब्दों में, महिलाओं के खिलाफ घेरलू हिंसा चेतना के भ्रष्टाचार का प्रदर्शन है, उसे स्पष्ट तौर पर सामाजिक बुराई कहा जा सकता है। इसके अलावा नागरिकों के पथभ्रष्ट आचरण से निपटने के लिए बनाए गए कानून और नियम तब अप्रासांगिक हो जाते हैं, जब पथभ्रष्ट आचरण सामान्य व्यवहार बन जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्तमान समय के भ्रष्टाचार की चरम सीमा को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार ऐसी बीमारी की तरह नहीं है जिसके लिए एक निश्चित दवा की गोली का सेवन करने से उसे रोका जाए। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सशक्त कानून बनने के पश्चात् भी भारत में भ्रष्टाचार पर तब तक अंकुश नहीं लग सकता जब तक तमाम उन स्त्रोंतो का पता न लगाया जाय जिनके कारण भ्रष्टाचार कायम रहता है, तब तक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात करना भी एक और भ्रष्टाचार होगा। ऐसी जानकारी के बाद ही प्रत्येक ऐसे स्त्रोतों पर अलग–अलग तरह की रोक लगाने की व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी जिसके बाद उन स्त्रोंतों के माध्यम से भ्रष्टाचार कर पाना संभव न हो।

आज भ्रष्टाचार देश के विकास मे बहुत बड़ी बाधा बन चुका है जो पैसा विकास में खर्च होना चाहिए वह विदेशी बैंक में जमा हो जाता है। 2 जी स्पेक्ट्रम में 2 लाख 76 हजार करोड़ का घोटाला आदि ऐसे नए घोटाले है जिससे देश की छवि

धूमिल हुई है। राजनीतिज्ञों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखा जाए तो आजादी के इतने वर्षों पश्चात भी भारत के विकास की गति जो होनी चाहिए वो नहीं है आज भी भारत पानी बिजली एवं मंहगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। राजनीति में बदलाव लाए बगैर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है। 21 वीं सदी के दूसरे दशक के भ्रष्टाचार का दृश्य यह है कि आज किसी भी कार्यालय के चपरासी से लेकर बड़ा अधिकारी तक भ्रष्टाचार की गर्त में डूबा हुआ हैं लोकपाल या जनलोकपाल विधेयक बन जाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा यह सोचना सबसे बड़ी भूल है फिर भी इससे कुछ अंकुश तो लगेगा ही इसमें संदेह नहीं कि भ्रष्टाचार के लिए राजनीतिक दल ही जिम्मेदार है। जिन राजनीतिक दलों के नेताओं को देश के विकास की जिम्मेदारी सौपी गई है वही अपना विकास स्वयं कर रहे हैं –बढ़ती महंगाई दिन प्रतिदिन जिसमें आम जनता पिस रही है वहीं भ्रष्टाचारी नेता नित्य अपने वेतन बढ़ाने व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हुए है। भ्रष्टाचार खत्म करने का एक ही उपाय है, भ्रष्टाचारियों को मृत्युदंड देना पर क्या यह संभव है? आवश्यकता है कुछ कड़े कानून बनाने और जनजागरूकता की जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो वह अमीर हो या गरीब जब तक वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं होगा। तब तक इसे रोक पाना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई हर कोई दूसरे के आंगन से ही शुरू करना चाहता है और वहीं पर समाप्त कर देने की सोचता है। आवश्यकता इस बात की है प्रत्येक नवयुवक प्रण ले और अपने माता–पिता को भ्रष्टाचार न करने की नसीहत दे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अपने घर में लड़नी चाहिए, यह तभी संभव है जब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सभी, एकजुट तरीके से आगे आऐं और भारतीय जनमानस में एकजुटता जिस दिन हुई तब अवश्य ही सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना जाने वाला यह भारत भ्रष्टाचार से मुक्त एक ऐसा भारत होगा जिसके विकास की गति दुनिया के अन्य देशों के विकास की गति से चार गुना बढ़ जाएगी तब यह विश्वपटल पर प्रथम महाशक्तिशाली भारत के रूप में पहचाना जाएगा।

सदंर्भ ग्रन्थ

1. अपराध और भ्रष्टाचार की राजनीति, निर्मल कुमार सिंह वाणी प्रकाशन दरियागंज ,नई दिल्ली, पृष्ठ 75
2. (विनीत नारायण) हवाला के देशद्रोही, अरूणोदय, प्रकाशन मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली, पृष्ठ 26, 30
3. प्रथम प्रवक्ता 15 जून एवं 30 जून 2011 का अंक पृष्ठ 15, 25, संपादक नरेन्द्र एन. ओझा ,नोएडा उत्तरप्रदेश
4. पाखी मासिक पत्रिका जून 2011 बी–107 सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश पृष्ठ,11, 15
5. प्रथम प्रवक्ता मई 2011 समाचार विचार पत्रिका संपादक ,नरेन्द्र एन. ओझा ए–26 नोएडा ,उत्तरप्रदेश, पृष्ठ 45
6. द संडे इंडियन ,18 अप्रैल 2011 ,मासिक पत्रिका 01–05, पृष्ठ 18
7. प्रथम प्रवक्ता, 16–30 अप्रैल 2011, नोएडा उत्तरप्रदेश ,पृष्ठ 5

8. द पब्लिक, 27 अप्रैल 2011, वर्ष 04 ,अंक 06 वैदेही काम्पेक्स, हरमू हाउसिंग कालोनी, रांची, झारखंड, पृष्ठ, 28,44

9. नयातारा, हिन्दी मासिक पत्रिका ,अप्रैल 2011 संपादक–भारती, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल, पृष्ठ 2

10. जनसत्ता समाचार पत्र, नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2010 एवं 31 अक्टूबर 2011, पृष्ठ 5, 6